GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION
MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, DELHI-110034.
(CO-ORDINATION BRANCH)

F.5.(2)/2013/IMP/CDN/TTE/ 400 - 403 Dated: 27.12.2016

To,

1. All Office/Branch in-charges at TTE(H.Q)/BTE
2. All Head of Institutions under DTTE.

Sub:- (1) Forwarding of letter of the Secretary, UGC.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith a copy of letter No. DHE 6(87)/2016-17/NHRC/NCSC/UGC/4302-18 dated 3/11/16 with enclosures on the subjects cited above. The same is being uploaded on the Department website www.tte.delhigov.nic.in for further necessary information/action in this regard.

Yours faithfully,

23/XII/16

(PRASAD KUMAR P)
SUPERINTENDENT(CDN)

F.5.(2)/2013/IMP/CDN/TTE/ 400 - 403 Dated: 27.12.2016
Copy to:-

1. Assistant Programmer, DTTE (HQ) with the request to upload the above noted information on the website of the Deptt. copies of the letters referred to above are also enclosed.
2. P.A. to Spl. Director (TTE)

23/XII/16

(PRASAD KUMAR P)
SUPERINTENDENT(CDN)

6010/Dir(TTE) 9-11-16 378/1

GOVERNMENT OF N[illegible]I
DIRECTORATE OF HIG[illegible]ION
B-WING, 2ND FLOOR, 5-SHAM N[illegible], DELHI-110054

No. DHE 6(87)/2016-17/NHRC/NCSC/UGC/4302-18 Dated: 3/11/16

To

1. The Director, Dte. of Education, GNCTD, Old Sectt., Delhi.
2. The Director, Dte. of Trg. & Tech. Education, GNCTD, Muni Maya Ram Marg, Pitampura, Delhi-110088.
3. The Registrar, Guru Gobind Singh Indraprastha University, Sector-16 C, Dwarka, Delhi-110078.
4. The Registrar, Ambedkar University, Kashmere Gate, Delhi-110006.
5. The Registrar, National Law University, Sector-14, Dwarka, New Delhi-78.
6. 12 Colleges 100% funded by Govt. of NCT of Delhi.

Sub: Forwarding of letter of the Secretary, UGC.

Sir,

Please find enclosed herewith a D.O. letter No.2-1/2016(AMPC) dated 16/9/2016 received from the Secretary, UGC alongwith copy of a letter of Sh. Kirpal Balaji Tumane, MP (Lok Sabha) addressed to Minister, HRD/GOI regarding taking action on School/Colleges and tuition centres with the request to take necessary and appropriate action for issuing the instructions to school/colleges to ask teachers to impart proper education to students under intimation to this Directorate, UGC and inform lthe Hon'ble M.P. also regarding action taken in the matter.

Yours faithfully,

Encl: As above.

3/11/16
ADMINISTRATIVE OFFICER-I(HE)

Dir TTE
Spl. Dir

732/PDA 10/11/16

2558/AD(M) 10/11/16 18/11/16

8/11/16

832/CDN 22/11/16

Diary No. 4911 /Addl. Dir P
Date 9/11/16

10.11.16

Copy has been retained by NG branch, PUC may be forwarded to OS(CDN) for issuing the instructions to other Institutes under DTTE.

OS(Trg) AO(Trg)

AO(Trg.) OS(Trg) Pl. Opp

18/11/16

OS(CDN) 18/11

प्रो. डॉ. जसपाल एस. सन्धू
सचिव
Prof. Dr. Jaspal S. Sandhu
MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23239337, 23236288,
Fax : 011-23238858, email : jssandhu.ugc@nic.in

स्पीड पोस्ट

मि. सं. 2–1/2016(ए.एम.पी.सी.)   अगस्त, 2016

6 SEP 2016

शिक्षा सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार
कमरा न. 6, पुराना सचिवालय
दिल्ली–110054

Diary No. 3744
Date 07/9/16

महोदय/महोदया,

लोकसभा सांसद माननीय श्री कृपाल बालाजी तुमाने के पत्र सं0 केटी–एमपी/रामटेक/3349/2015 दिनांक 07/09/2015 जो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री को सम्बोधित है (प्रति संलग्न) जिसमें उन्होंने अपने दो अन्य पत्रों केटी–एमपी/रामटेक/3349/2015 दिनांक 07/09/2015 एवं केटी–एमपी/3060/2015 दिनांक 26/07/2015 को उदधृत करते हुए पाठशाला/महाविद्यालय और विद्यापीठ/बोर्ड की ट्यूशन संस्थानों/क्लास के साथ संचालकों की सांठगांठ होने से शिक्षक पढ़ाई न लेते हुए विद्यार्थियों को ट्यूशन लगाने की सलाह देते हैं तथा इसके लिए मनमानी फीस वसूल रहे है। इन पर कोई नियंत्रण न होने के कारण ये शिक्षा की गुणवत्ता एवं आर्थिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए घातक साबित हो रहे है। सांसद महोदय ने सम्बन्धित बोर्ड बनाकर इस प्रकार की समाज एवं छात्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण करने का आग्रह किया है। अतः आपसे निवेदन है कि माननीय सांसद के पत्र में उल्लिखित सुझावों पर उचित कार्यवाही करते हुए आयोग के साथ–साथ सांसद महोदय को इस विषय में की गई कार्यवाही से सूचित करने का कष्ट करे।

भवदीय

जसपाल सन्धू

प्रोफेसर (डा0) जसपाल सिंह सन्धू

प्रतिलिपिः संलग्नक

Smt Anuradha.

SI.NO I (R)

376/C

कृपाल बालाजी तुमाने

संसद सदस्य

(लोक सभा)

KT-MP/RAMTEK/03 (DL)/2015

सत्यमेव जयते

बी-401, एम.एस फ्लैट्स,
बाबा खड़क सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110001
फोन-011-23329320
दिनांकः-20.11.2015

प्रति,

मा. श्रीमती समृति ईरानी जी,
मानव संसाधन मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

Secy (SEL)

विषयः- देश में चल रहे ट्यूशन संस्थानों/क्लासों की समीक्षा, मनमानी रोकने, आवश्यक गाइड लाइन जारी करने तथा पाठशाला/महाविद्यालयों में नियमित रूप से पढ़ाई न होने के कारण उनकी जांच और ऐसे पाठशालाओं/महाविद्यालयों का अनुदान बंद करने हेतु।

महोदया,

उपरोक्त विषय के संबंध में मेरे कार्यालयीन पत्र क्र. केटी-एमपी/रामटेक/3349/2015; दिनांक-07/09/15 एवं केटी-एमपी/रामटेक/3060/2015; दिनांक-26/07/2015 का कृपया अवलोकन करें। जिसमें पाठशाला/महाविद्यालय और ट्यूशन क्लासेस पर कार्यवाही हेतु आपके विभाग को दिया गया था, दिनांक 4.8.2015 का नियम 377 के अधीन इस विषय की ओर मैंने सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन अभी तक न ही मेरे पत्रों का और न ही नियम 377 का जवाब मुझे मिला है और अभी तक मंत्रालय से कोई भी आद्रेश निर्गत नहीं होने के कारण ट्यूशन संस्थानों/क्लासों की मनमानी अभी भी चल रही है तथा विद्यार्थियों से मनमानी ट्यूशन फीस 1,25000/- से 2,50,000/- रूपये तक ली जा रही है और संचालक कुछ किये बिना ही मालामाल हो रहे हैं। गरीब परिवार के विद्यार्थियों के पास पैसा नहीं होने के कारण वह गुणात्मक शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं।

पाठशाला/महाविद्यालयों और विद्यापीठ/बोर्ड की ट्यूशन संस्थानों/क्लास के साथ संचालकों की सांठगांठ होने से शिक्षक पढ़ाई न लेते हुए विद्यार्थियों को ट्यूशन लगाने की सलाह देते हैं। पैसा नहीं होने के कारण गरीबी रेखा के लोगों के बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इन ट्यूशन संस्थानों/क्लासों में परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के चैप्टर पढ़ाये जाते हैं। इस वजह से विद्यार्थियों में

375/C
33/C

संसद सदस्य
(लोक सभा)

सत्यमेव जयते

गुणवत्ता का अभाव होता है। महाराष्ट्र राज्य हो या और कोई अन्य राज्य हो जिसमें अवैद्य रूप से चल रहे ट्यूशन क्लास पर अंकुश लगाने वाला कोई भी बोर्ड न होने के कारण गली-गली में ट्यूशन क्लास खोल रहे हैं। जिनका लेखा-जोखा किसी के पास नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि ट्यूशन संस्थान/क्लास की देखरेख हेतु एक बोर्ड का गठन किया जाना अति आवश्यक है तथा ट्यूशन संस्थानों/क्लासों का पंजीयन, फीस निर्धारण, उनके लिए नियमावली, निरीक्षण जैसे काम होना जरूरी है। जिससे उन पर बोर्ड का नियंत्रण रहेगा और मनमानी वसूली जा रही ट्यूशन फीस पर लगाम लगने में सहायता होगी तथा इस संबंध में बिल पास किया जाए जिससे गरीब परिवार के होनहार विद्यार्थियों को राहत मिल सके और ट्यूशन क्लास के संचालकों द्वारा की जा रही लूटमार पर लगाम लगने में मदद मिल सके तथा स्कूल/विद्यालय/बोर्ड/महाविद्यालय में शिक्षक अच्छी तरह से विद्यार्थियों को शिक्षा देने का निर्देश जारी करने की कृपा करें, मैं आशा करता हूँ कि इस पर आपके द्वारा की गई कार्यवाही से आप मुझे जरूर अवगत करायेंगे।

धन्यवाद,

आपका,

(कृपाल तुमाने)